20 Rs. COURT FEE 20 भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

माननीय न्यायालय म.प्र. राजस्व मण्डल ग्वालियर केम्प उज्जैन

प्रकरण क्रमांक /2012. निगरानी — R-4150-PBR/12

गोविन्द पिता शंकरलाल सोनी आयु 47 वर्ष
निवासी मेन रोड ताजपुर तहसील व जिला उज्जैन
---------प्रार्थी

विरूद्ध

1— नरायणसिंह पिता शंकरसिंह
2— गुलाबसिंह पिता शंकरसिंह
3— बनेसिंह पिता शंकरसिंह
निवासीगण ताजपुर तहसील व जिला उज्जैन
-----प्रतिप्रार्थीगण

233
31/10/2012

विषय — न्यायालय अपर आयुक्त उज्जैन संभाग, उज्जैन द्वारा प्रकरण क्रं. 464/अपील/2011—12 में दिनांक 08.10.2012 को, न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी उज्जैन द्वारा प्रकरण क्रं. 02/अपील/2011—12 में पारित आदेश दिनांक 28.08.2012, को निरस्त करते हुवे, न्यायालय नायाब तहसीलदार महोदय तहसील उज्जैन द्वारा प्रकरण क्रमांक 05/6—अ/2009—10 में पारित आदेश दिनांक 29.01.2011 को स्थिर रखते हुवे पारित आदेश, के विरूद्ध निगरानी अंतर्गत धारा 50 भू—राजस्व संहिता 1959।

माननीय महोदय,

प्रार्थी की ओर से निम्नलिखित निगरानी प्रस्तुत है :—

संक्षिप्त भूमिका

1. यह कि प्रतिप्रार्थीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि के संबंध में कब्जा दर्ज किये जाने के हेतु एक आवेदन—पत्र नायब तहसीलदार तहसील व जिला उज्जैन के समक्ष इस आधार पर प्रस्तुत किया गया था कि शंकरलाल सोनी से प्रतिप्रार्थीगण के पिता शंकरसिंह ने लगभग 30 वर्ष पूर्व जमीन क्रय की थी और आपसी संबंध मधुर होने से नामान्तरण नही करवाया था । इस आवेदन—पत्र का नोटिस का निर्वाह प्रार्थी पर कभी नही हुआ, उपरोक्त आवेदन—पत्र पर प्रक्रिया के विपरीत, विधि के विपरीत, कार्यवाही उपरांत उपरोक्त न्यायालय द्वारा दिनांक 29—01—2011 को प्रतिप्रार्थीगण का कब्जा दर्ज किये जाने संबंधी आदेश पारित किया गया, जिसके विरूद्ध जानकारी होने पर प्रार्थी की ओर से एक अपील अंतर्गत धारा 44 म0प्र0 भू—राजस्व संहिता (आगे संक्षिप्त में "संहिता") के अधीन अनुविभागीय अधिकारी उज्जैन के समक्ष प्रस्तुत की गई । उक्त अपील उपरोक्त अपीलीय

18-11-15	आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं। ~~[illegible]~~ तीन बार समय-समय पर पुकार लगवाई गई परन्तु कोई उपस्थित नहीं हुआ। अतः प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। आवेदन वापस भेजा जावे। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। सरपंच	